राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967
(10 मई 1963)

प्रयोजन:

26 जनवरी, 1965 के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों / संसदीय कार्य / केंद्र / राज्यअधिनियम/ उच्चन्यायालयों में कुछ प्रयोजनों में हिंदी के अतिरिक्तसह भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए यह अधिनियम संसद में पारित हुआ।

धारा 1 -संक्षिप्त नाम- राजभाषा अधिनियम, 1963

धारा 2 - परिभाषाएं- धारा 3, 26 जनवरी, 1965 से लागू होगी शेष धाराएं, राज-पत्र में उनकी प्रकाशन तिथि से लागू, हिंदी का तात्पर्य देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी।

धारा 3- राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना

3.1 26 जनवरी,1965 के बाद भी संघ के सरकारी प्रयोजनों/संसद के कार्य निष्पादन हेतु हिंदी के अलावा सह भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।

संघ और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा।

हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले राज्य और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्य के बीच यदि पत्राचार हिंदी में किया जाए तो हिंदी पत्रों के साथ उनका अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाएगा।

हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाला राज्य संघ या हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले राज्यों के साथ उनकी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उस राज्य के साथ पत्राचार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकार नहीं होगा।

3.2 <u>कार्यालयीन पत्राचार</u>

<u>केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ निगमों / कंपनियों के बीच पत्राचार</u>

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/कंपनियों/निगमों और कंपनी के कार्यालयों के बीच पत्राचार करते समय अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी और हिंदी पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद तब तक भेजा जाएगा जब तक वहां के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते।

धारा 3(3) - केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/निगमों/कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले संकल्प/ सामान्य आदेश / नियम / अधिसूचनाएं / प्रशासनिक व अन्यरिपोर्ट / प्रेस/ विज्ञप्तियां / संविदा / करार /अनुज्ञप्ति/ अनुज्ञा पत्र/ सूचनाएं/ निविदा प्रारूप संसद के सदनों में रखी जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रपटें आदि हिंदी/अंग्रेजी साथ-साथ अर्थात दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे।

धारा 3.4 - केंद्रीय सरकार संघ अपने मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के शासकीय/राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भाषा या भाषाओं का उप बंध करेगी। ऐसे नियम बनाते समय राजकीय कार्य को दक्षता और शीघ्रता से निपटाने तथा जनसाधारण के हितों का सम्यकध्यान रखा जाएगा और संघ के कार्यालयों में कार्यरत हिंदी और अंग्रेजी के प्रवीण व्यक्ति प्रभावी रूप से अपना कार्य कर सकें और जो इन दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका भी कोई अहित न हो।

धारा 3.5-धारा 3 के उपनियम 1/2/3 तथा 4 में निर्दिष्ट व्यवस्थाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक हिंदी को राजभाषा न मानने वाले राज्य अंग्रेजी के प्रयोग के स्थगन हेतु अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित नहीं कर लेते और ऐसे राज्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त किए जाने का निर्णय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं कर लिया जाता।

धारा 4 राजभाषा के संबंध में समिति :-4.1 – धारा 3 प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1965 के बाद 10 वर्ष की समाप्ति पर संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संकल्प पारित कर संसदीय राजभाषा समिति का गठन करेगी।

4.2- समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10, कुल 30 सदस्य होंगे। इनका निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्वपद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

4.3- समिति, संघ के राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी. राष्ट्रपतिसंसद के दोनों सदनों में उसे रखेंगे। उसकी प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेजेंगे।

4.4- राष्ट्रपति समिति की रपट और राज्य सरकारों द्वारा इस पर व्यक्त किए गए मत पर विचार कर समस्त रिपोर्ट या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकालेंगे। ऐसे निर्देश धारा 3 के उपबंधों से सुसंगत होंगे।

धारा- 5 – केंद्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद :-

5.1- नियत दिन या उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से राज पत्र में प्रकाशित 'केंद्रीय अधिनियम' राष्ट्रपति के अध्यादेश, संविधान या केंद्रीय अधिनियमों के अधीन निकाले गए आदेश/नियम/विनिमय/उपविधि का हिंदी अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

5.2– संसद के किसी भी सदन में रखे जाने वाले सभी विधेयकों/ संशोधनों के अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी होगा। उसे इस अधिनियम की विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

धारा- 6 - कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश हिंदी से भिन्न किसी अन्य भाषा में पारित किए हों वहां उसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिंदी अनुवाद को भी शासकीय राज पत्र में राज्यपाल के प्राधिकार से छापा जाएगा और ऐसी दशा में उस अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

धारा- 7 -उच्चन्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग

किसी राज्य का राज्यपालराष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उस राज्य के उच्चन्यायालय को अपने निर्णय/डिक्री/ या आदेश अंग्रेजी के अलावा हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में पारित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उच्चन्यायालय को उनका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत करना होगा।

धारा- 8 – नियम बताने की शक्ति

(1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना के जरिए इस अधिनियम के अनुपालन हेतु नियम बनाएगी।

(2) इस प्रकार बनाया गया हर नियम संसद सत्र के दौरान सदनों में रखा जाएगा। सदन यदि इनमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो ऐसे नियम उसके परिवर्तित रूप में जारी रहेगा या असहमति की दशा में रद हो जाएगा।

धारा- 9 - कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीर पर लागू न होना

धारा 6 और 7 के उप बंध जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होंगे।